

संलग्न

(५१८)

उत्तर प्रदेश शासन,
गावांत अनुभाग -।

गंदगी २२/९-३०-१-१६-६ डी. रा. /०१

दिनांक २२/९/१९९८

गोपनीय

संलग्न विकास प्राप्तिकरण(गपराधीं का शमन)उपचिह्नि, १९९२ का
गोपनीय कर्त्ता द्वाये उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति गोपनीयम् परिष्कारों
माला पुनः गोपनीयम्) गोपनीयम्, १९७४ उत्तर प्रदेश अधीन
गोपनीय संघर्ष-३० सन् १९७४ द्वारा परिष्कारों समिति द्वाया पुनः
गोपनीयम् उत्तर प्रदेश नगर योजना इथे विकास गोपनीयम्, १९७३
राष्ट्रपति अधीन गोपनीयम् संघर्ष-१। सन् १९७३ को धारा ५७ के छाड़
मसूरी-देवरादून मसूरी-देवरादून विकास प्राप्तिकरण
राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन से गोपनीयम् को धारा ३२ के अधीन
गपराधीं के शमन हेतु मार्ग-दर्शक रिदान्त निर्धारित करने के लिये
निम्नलिखित उपचिह्नि बनाते हैं :--

मसूरी-देवरादून विकास प्राप्तिकरण(गपराधीं का शमन)उपचिह्नि, १९९८

तांडियत
नगर संघ
प्राप्तिकरण

१- ११।- यह उपचिह्नि मसूरी-देवरादून विकास प्राप्तिकरण गपराधीं की शमन
उपचिह्नि, १९९८ को जायेगी ।

१२।- इसका प्रस्तार सम्पूर्ण मसूरी-देवरादून विकास प्राप्तिकरण क्षेत्र पर होगा ।

१३।- यह उपचिह्नि तात्कालिक प्रशासन से प्रयुक्त होगी ।

गपराधीं
का शमन

२- उत्तर प्रदेश नगर योजना अधीन विकास अधीन यम, १९७३ के अन्तर्गत
दण्डनीय विकास भी गपराधीं की शमन कार्यवाही समिति द्वारा से पूर्व
गपराधीं का विकास प्राप्तिकरण गपराधीं को उत्तर प्रदेश द्वारा
धारा ३२ के अधीन प्राप्तिकरण गपराधीं को जा सकेगी ।

३- शमन प्राप्तिकरण गपराधीं को तात्कालिक गपराधीं का शमन इस प्राप्तिकरण के
साथ होगा कि गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं
गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं गपराधीं
उपरोक्त शमनीय गपराधीं का शमन करने के गपराधीं देने वाले गोपनीय
द्वारा निर्दिष्ट गपराधीं के गोपनीय, जो १५ दिन से गोपनीय नहीं होगी,

को निराकार करु - तामा
मेरे आवश्यक होगा।

तामाचा कर देगा, गंभीरा उसके पिस्तु बुन/ गोमधोजन की कार्यवाही
हेहु विकास प्राप्तिकरण स्थान दोगा ।

११८ - अपेक्षा निराकारों तथा विकास कार्यों के शासन की गवाहा
द्वारा जासा गवाहा होते से इनकार करने में विकास प्राप्तिकरण पा उसके
द्वारा इस नियमित सामाजिक पा विशेष आदेश द्वारा प्राप्ति
कोइ गोप्तारों पर गुणित्वात् करेगा कि ,

११९ - वापा निराकारों लेतोहट, रोगो वेतोहट, गृहाल, प्रधान ता,
पा गुरुवत्ती तलों पर किया गया है तथा गवाहग्न देव
पर उग्रां वया प्रभाय है ।

१२० - वहा वेतोहट का निराकार गवाह में कृती देव से गोप्ताक
किया गया है, यदि है, तो उतका प्रभाय ।

१२१ - यहा निराकारों गवाहग्न लाईन के प्राप्तिकूल है,
पद्ध दृष्ट, तो उतका प्रभाय ।

१२२ - वापा निराकारों विधान वित्तिंग लाईन के प्राप्तिकूल है,
पद्ध दृष्ट, तो उतका प्रभाय ।

१२३ - वापा निराकारों लेतोहट कान्दोल ऐवह में भाँड़ा
है, यदि है, तो वापा उसके लिये गवाहग्न ली गई है ।

१२४ - वेतोहट के निराकार संस्करण सम्पर्कतायों तथा विधान
सम्पर्कों पर प्रभाय ।

१२५ - निराकारोंका अपराध गानीष नहीं होते :-

१२५ - निराकारोंकी गवाहग्नी पा गोप्तानिक गृहिम पर निराकार
सम्पर्क-प्राप्त विभाग के लक्षण गोप्तारों को गवाहग्न तो किया
गया है ।

१२६ - अपराध निराकारों लेतोहट से राखी-द्वारा दो जो गवायोजना
पा परिवेत्तीप योजनाग्नों में लेतोहट गृह-ग्रामीणों के विपरीत हो ।

१२७ - अपराध निराकारों लेतोहट साधन-निक गृहिम पर निराकार हुए
गों। इत्तेव्वु से सम्पर्क-प्राप्त हो जिसके लिये सम्पर्क-प्राप्त
विभाग ले गवाहग्न प्राप्त नहीं की गई हो ।

१२८ - गवाहग्न गृह-ग्रामीण लक्षण गवाहग्न लेतोहट से गवाहग्न गवाहग्न
लेतोहट में विभाग को लेतोहट में निराकारोंका लक्षण ला गवान की
कार्यवाही को लायेगी और इसके उपरान्त गवाहग्न लेतोहट करना

:: 3 ::

भी आवश्यक होगा। इस प्रकार का शमनीय निर्माण शुद्ध शमन की निरन्तरता में ही अनुमन्य होगा।

४क० - तामने के टेटबैक की चोड़ाई का ५० प्रतिशत, फिर पुरापिण्डि १.५ मी० से जटिक निर्माण शमनीय न होगा।

४ख० - पीछे के टेटबैक में अनुमन्य आच्छादन के अंतिरिक्षता १० प्रतिशत देख तक का निर्माण शमनीय होगा।

४ग० - पाईची टेटबैक में कुल देख तक का २५ प्रतिशत तक का निर्माण शमनीय होगा।

४द० - शुप हाउसिंग, ट्युवटार्पिक सं कार्पोरेशन की योजनाओं में अनुमन्य भू-आच्छादन के अंतिरिक्षता भूतल पर अप्राप्तिकृत निर्माण, अनुमन्य भू-आच्छादन के १० प्रतिशत की तीमा तक ही शमनीय होगा।

४इ० - गभी प्रकृति के निर्माण के तिथे अनुमन्य तालानुपात के अंतिरिक्षता अप्राप्तिकृत निर्माण अनुमन्य तालानुपात की १०, प्रतिशत तक ही तीमा तक ही शमनीय होगा।

शमन शुल्क
में अनुसूची

5- भिन्न - भिन्न प्रकार के गनधूत निर्माण/किसां कार्पोरेशन के शमन हेतु शुल्क की शुल्क वही होगी जो तंत्रज्ञ अनुसूची में निर्धारित की गयी है। शमन उपरान्त मानविक को स्वीकृत करना आवश्यक होगा।

6- पर्वि किसी शमनों से लाभान्वीकृत निर्माण एवं गोप्यों के अन्तर्गत आता है तो शमन शुल्क प्रत्येक ब्रेंड के तिथे निर्धारित शमन शुल्क को जोड़कर तिथा नापेगा।

7- अपैध निर्माण के शमन के उपरान्त निर्माण-कर्ता द्यारा शमन शुल्क द्वापा प्रशनगत निर्माण की स्वीकृति हेतु वह शुल्क जमा कराया जायेगा जो गमय-समय पर मानविक की स्वीकृति हेतु प्राप्ति-करण द्यारा निर्धारित किया गया हो। तदोपरान्त ही मानविक स्वीकृत करने की कार्पोरेटी की जापेगी।

8- अल्लू के अन्तर्गत मानविक स्वीकृत करने के उपरान्त शमन किसी भाग के आवश्यक द्वारा २८ में अन्तर्गत कार्पोरेटी नापता हो-

जायेगी, यदि शान् विष्णुष्ठि विहार को द्वयता करने का कोई गाव पारित किया गया हो तो वह गमाप्त गाना जायेगा। श्रीष गैध निमणि जिसे शान् न किया गया हो उसे निमणकता तथं अपने व्यष पर छटायेगा, अप्यपा वह विकात प्राप्तिरण द्वयारा द्वयता कर दिया जायेगा एवं उस पर छोने वाला व्यष निमणकता से ब्रूत किया जायेगा।

शान्

७- अ५८७ के गत्ताति ३ दोपत्र शुल्क निमणकता द्वयारा एक मुश्ति गथ्या द्वाज तद्वित ऐसी किष्टों में ऐसी लक्ष्म प्राप्तिरात्रि द्वयारा निर्धारित की जाय, जमा की जायेगी तथा सम्पूर्ण राशि जमा हो जाने पर ही प्रश्नगत की कार्यवाही पूर्ण मानी जायेगी। द्वाज तद्वित की धनरात्रि निश्चित करने व जमा करने के सम्बन्ध में प्राप्तिरण द्वयारा प्रपत्र से नियम बनाया जा तकता है। अब आनंदित त्वचीकृति की शर्त भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

अन किये
पिलात
तंगत
रण

१०- ऐसे गैध निमणि जिन्हें शान् किया गया है अ५९८ अ५९९ निर्धारित प्रपत्र के रूप में तारणीकर लिये जायें गीर उसमें एक संहत पिलात प्राप्तिरण की गावति विहार के तीपे प्रत्युत किया जायेगा।

११- शान् हेतु पिलाताधीन अपशोण आदेदनों का निर्धारण भी इस उपस्थिति के प्राप्तिरात्रि के गप्तीन किया जायेगा।

१२- अ५९९ २ और अ५९९ के गत्ताति अटोपित शान् शुल्क तथों अ५९९ ४ के गत्ताति प्राप्तिरण द्वयारा लिये गये व्यष की वस्तुतो अधिनियम की वारा ५० के अनुगार की जायेगी।

भ्रमि मल्य का 75 प्रतिशत तथा
200/- लप्ये प्रति वर्ग मीटर
अतिरिक्त भू-आचारादन पर

13। पोहे के सेट वैक म

भ्रमि के मल्य का 50 प्रतिशत तथा
200/- लप्ये प्रति वर्ग मीटर
अतिरिक्त भू-आचारादन पर

14। हेट थैक के प्रतिशत भाग के
अतिरिक्त

अनुसन्धान सीयां से अतिरिक्त देसेन्ट
के नियंग पर

15। कॉर्टिट कारों की आन्तरिम डेवाइ
विहित ऊड़ी से 10 प्रतिशत तथा
दाढ़रों की ऊड़ी विहित डेवाइ ते
10 प्रतिशत से अधिक दम हो

16। कॉर्टिट कारों की चौड़ाई विहित
पौड़ी से 10 प्रतिशत तक कम हो

17। कॉर्टिट कारों की चौड़ाई विहित
वैडोइड से 10 प्रतिशत से अधिक

कम हो

18। कॉर्टिट कारों के देसेन्ट पर 50/- प्रति /
पौड़ी से 10 प्रतिशत तक कम हो

19। कॉर्टिट कारों का देसेन्ट पर 100/- प्रति /
देसेन्ट से 10 प्रतिशत तक कम हो

भ्रमि मल्य का 150 प्रतिशत भर्ग मल्य
तथा 600/- लप्ये प्रति वर्ग अतिरिक्त भू-
आचारादन अतिरिक्त भू-

भ्रमि मल्य का 100 प्रतिशत भर्ग मल्य का 150
तथा 600/- लप्ये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त^{का}
भू-आचारादन पर
भ्रमि मल्य का 100 प्रतिशत भर्ग मल्य का 150 प्रति
तथा 600/- प्रति वर्ग मीटर भू-आचारादन पर
अतिरिक्त भू-आचारादन पर

भ्रमि मल्य का 100 प्रतिशत भर्ग मल्य का 150
तथा 600/- लप्ये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त^{का}
भू-आचारादन पर
भ्रमि मल्य का 100 प्रतिशत भर्ग मल्य का 150 प्रति
तथा 600/- प्रति वर्ग मीटर भू-आचारादन पर
अतिरिक्त भू-आचारादन पर

कॉर्टिट का 800/- लप्ये प्रति देसेन्ट का 600/- लप्ये प्रति
वर्ग मीटर के मल्य का 100 प्रतिशत
कॉर्टिट वर्ग मीटर के मल्य का 100 प्रतिशत
कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट पर 50/- लप्ये
प्रति वर्ग मीटर की दर से
कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट पर 200/- कमरे के देसेन्ट पर 150/-
लप्ये प्रति वर्ग मीटर की दर से
कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट की दर से
कॉर्टिट वर्ग मीटर की दर से
कॉर्टिट के देसेन्ट की दर से
कॉर्टिट वर्ग मीटर की दर से

कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट की दर से
लप्ये प्रति वर्ग मीटर की दर से
कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट की दर से
लप्ये प्रति वर्ग मीटर की दर से
कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट की दर से
लप्ये प्रति वर्ग मीटर की दर से

कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट की दर से
लप्ये प्रति वर्ग मीटर की दर से
कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट की दर से
लप्ये प्रति वर्ग मीटर की दर से

कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट की दर से
लप्ये प्रति वर्ग मीटर की दर से
कॉर्टिट के देसेन्ट पर 100/- लप्ये
कमरे के देसेन्ट की दर से
लप्ये प्रति वर्ग मीटर की दर से

प्राकोंटि कारे के प्रदाता तथा संचालन

कर्मी व्यवस्था की वित्तीय संचालन से

इष्टिहास तथा गतिशीलता वा

व्यवस्था के प्रश्ना तथा गतिशीलता

विषयों के विवरण देखने वाले हैं

191 दिना स्थीरता किया गया भू-ध्वनि

विकास करने

192 दिनावृत्ति जिसकी स्थीरता

प्राप्ति के प्राप्ति अपने स्वतंत्र दर्जे उत्तम गति

193 दिनावृत्ति जिसकी स्थीरता

प्राप्ति के विवरण देखने वाले हैं

194 दिनावृत्ति जिसकी स्थीरता

प्राप्ति के विवरण देखने वाले हैं

195 दिनावृत्ति जिसकी स्थीरता

प्राप्ति के विवरण देखने वाले हैं

196 दिनावृत्ति जिसकी स्थीरता

प्राप्ति के विवरण देखने वाले हैं

197 दिनावृत्ति जिसकी स्थीरता

प्राप्ति के विवरण देखने वाले हैं

198 दिनावृत्ति जिसकी स्थीरता

प्राप्ति के विवरण देखने वाले हैं

कारों के विवरण पर 50/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 100/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 150/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 200/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 250/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 300/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 350/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 400/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 450/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 500/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 550/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 600/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 650/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 700/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 750/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 800/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 850/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

कर्मी के विवरण पर 900/- लाखे
कर्मी मीटर ली दर से प्रति

टिप्पणी

- 11। अगर प्राथीं द्वारा कोई लिखित आवेदन सुविधा प्राप्त करने हेतु नहीं किया है, तब नियमानुसार ध्वस्त की कार्यपादी की जायेगी।
- 12। जहाँ पायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी, उसकी प्राप्ति के पश्चात ही शमन लगने की कार्यपादी पर विवार किया जायेगा।
- 13। भूमि के मूल्य का ऑक्लन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित टेलर रेट पर किया जायेगा। जहाँ पर रेट उपलब्ध नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण स्वयं निर्धारित करेगा। भूमि पर्याप्ति भू-उपयोग के आधार पर अलग-अलग निर्धारित हो, नियम-5 के अन्तर्गत अनुच्छेदी में आवासीय दरों ली जायेगी।
- 14। तरकारी भूमि सङ्केत के विस्तार हेतु जारेक्षित भूमि तथा भू-उपयोग के विवरण की भी प्रकार के निमाण का शमन नहीं किया जायेगा।
- 15। पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल उपलब्ध न होने पर पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि के मूल्य का दो गुना प्राथीं द्वारा देय होगा।
- 16। विद्या एवं स्वास्थ्य संस्थाओं एवं दातव्य संस्थाओं हेतु शमन शुल्क आवासीय दरों का 50 प्रतिशत होगा।
- 17। व्यवसायिक भवनों हेतु शमन शुल्क की दरों का उल्लेख न हो, आवासीय दरों की दो गुनी होनी तथा कायांलय भवनों हेतु आवासीय की दो गुनी स्वयं अन्य उपयोगी भवनों हेतु आवासीय दर के अनुसार होगी।
- 18। अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण हेतु शुल्क-पत्र के अनुसार यानि अनाधिकृत निमाण पक्ष द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता है। विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टेलर दर का 17 प्रतिशत हजारा शुल्क वसूल किया जा तकता है तथा निर्धारित अवधि के उपरोक्त प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यपादी करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा।
- 19। शमन हेतु दाखिल किए गए सभी प्रकृति के निमाण के लिए जिन पर उठाए गए योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत नोडिट दी गई हो अर्थात् कोई भी रेता प्रमाण जिसे सक्षम प्राधिकारी उचित समझे उन पर तत्काल निर्धारित एफ०३०आर० शमन हेतु लागू होंगे।
- 20। अनुच्छेदी में जंकित दरों में शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि मूल्य एक बार ही लिया जायेगा न कि प्रत्येक अनुच्छेदी तलों पर।

(अनुल कुमार गुप्ता)
संचिव